उन्हें प्रत्येक तिमाही में जारी कर दिए जाते हैं। अन्य तत्काल तथा जरूरतबंद मामलों में भी सांसदों की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रयास

8025. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंजरोला :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम पदार्थों के संबंध में भारत को आत्म-निर्भर बनने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(घ) इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया और कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने तेल शोधन के क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दी है। 58.40 मि०मी०ट० प्रतिवर्ष की विद्यमान शोधन क्षमता के प्रति, विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तारण/अवरोध दूर करने, की इ०ओ०यू० सहित नयी ग्रास रूट रिफाइनरियों, जे वी सी तथा निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को स्थापित करने के उपरांत देश में कुल शोधन क्षमता के लगभग 153 मि०मी० ट० प्रति वर्ष की आशा है। यह क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी क्योंकि वर्ष 2001–2002 तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के करीब 102 मि०मी०ट० प्र०व० होने का अनुमान है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की शोधन कम्पनियों के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय तथा 8वीं योजना के परिव्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	8वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय **		
		1992–93	1993–94	1994–95 (अप्रैल–दिसम्बर 1994)
आई०ओ०सी०*	2704.00	374.54	686.90	909.34
एच०पी०सी०एल०*	420.00	187.74	230.41	117.48
बी पी०सी०एलबी०	380.00	56.17	61.95	23.13
एम०आर०एल०	456.00	203.88	102.23	43.72
सी०आर०एल०	836.00	94.93	148.06	57.09
बी०आर०पी०एल०	247.00	45.31	82.30	42.24
एन०आर०एल०	—	—	32.00	86.54

निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों आदि के संबंध में व्यय की सूचना सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

(*) (रिफाइनरी एवं विपणन)

(**) अनंतिम